न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी :–नवज्योति कर्वारिया (आर ए एस)

पत्र सं0	दायर दिनांक	निर्णय
/09	04.03.2025	18.06.2025

बउनवान

01. रोशन देवी पत्नी लटूरराम जाति मीना निवारी हल्दीना तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0

प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेड़ा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 956 पेश किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हाल खाता नम्बर 681 खसरा नम्बर 1204 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 1205 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.6 हैक्टेयर वाके ग्राम हल्दीना पर प्रार्थीया काबिज खोतदार है। प्रार्थीया ने उक्त आराजी दिनांक 19.10.2005 को किशन पुत्र हरपाल मीना निवासी बावडी तहसील राजगढ से रोशन देवी पत्नी लटूर राम के नाम से खरीदी थी। जिसका इन्तकाल रोशन देवी पत्नी लटूरराम के नाम से क्रम संख्या 753 पर दर्ज किया गया था। किन्तु ऑनलाइन जमाबंदी मे सहवन से रोशन देवी पत्नी लटूरराम के स्थान पर रोशनी देवी पत्नी लटूर त्रुटिपूर्वक दर्ज कर दिया गया । जबकि प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम रोशन देवी पत्नी लटूर राम जाति मीना निवासी हल्दीना है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हाल राजस्व रिकार्ड में रोशनी देवी पत्नी लटूर के स्थान पर रोशन देवी पत्नी लटूर राम दर्ज व अंकित किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार मालाखेड़ा से प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मालाखेड़ा ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक 2025/1640 दिनांक–09.05.2025 से "मुताबिक दस्तनामा नामा. संख्या 753 दिनांक–20.03.

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज0